सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी—रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 65/15 निर्णय दिनांकः—11.07.2019

1. संतोषसैनी पत्नि श्री समुन्द्र सिंह जाति सैनी निवासी भगतसिंह चौक खाजुवाला तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. सन्तालाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति गोयल अग्रवाल निवासी नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल एलानाबाद जिला सिरसा हरियाणा। (फौत)
1/1. सीमादेवी पत्नी श्री सन्तलाल
1/2. लालचन्द पुत्र श्री सन्तलाल
1/3. सुशील कुमार पुत्र श्री सन्तलाल
1/4. रीतू पुत्री श्री सन्तलाल
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पूगल।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 09—06—2015
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थितः—

1. श्री प्रेमप्रकाश मदान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के निर्णय दिनांक 09—06—2015 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा तथ्यों व कानून के विपरीत जाकर खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आवंटनशुदा भूमि चक 1—2 एसएसएम सूरासर तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 161/13, 161/14, 161/15, 161/21, 161/22, 1612/23 तादादी 75 बीघा अनकमाण्ड भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 28—09—2007 को क्रय की गई थी। इकरारनामें के पश्चात् से ही उक्त भूमि अपीलांट् के कब्जे काश्त में चली आ रही है। ईकरारनामें के आधार पर धोषणात्मक एवं चिरनिषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत की आड़ में कैम करणीसर भाटियान में बिना अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र में न तो तनकीयात् कायम की गई ना ही साक्ष्य व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया ना ही प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर निस्तारण किया गया। मात्र यह अंकित करते हुए की गैर खातेदारी भूमि का बिना खातेदारी प्राप्त किये अवैद्य बेचान किया गया है। ऐसी स्थिति में वाद सिविल प्रकृति का होने के कारण वादी इस न्यायालय में से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद वादी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। इस संबंध में अपीलांट/वादी को कोई सूचना व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा यह अंकित करते हुए की गैर खातेदारी भूमि का अवैद्य बेचान किया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27—07—2007 को उक्त भूमि की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से जारी कर दी थी लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की जाति अग्रवाल के स्थान पर ब्राहमण कर दी गई तथा निवासी नोहर के स्थान पर भादरा कर दिया गया। ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की गलती का खामियाजा अपीलांट को नहीं मिल सकता। अपीलांट द्वारा उपरोक्त गलती को दुरूस्त किये जाने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 30—08—2011 को उक्त गलती को दुरूस्त भी कर दिया गया। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

मात्र सरसरी तौर पर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट का दावा खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा उक्त पैतृक सम्पति के गलत इन्द्राज होने के कारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष धोषणात्मक, चिरनिषेधाज्ञा का वाद दायर किया गया। जिस पर अदालत मातहत ने बिना रिकार्ड का अवलोकन किये बिना कब्जे काश्त की जॉच किये बिना पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किये मात्र सरसरी तौर पर आदेश पारित करते हुए दावा खारिज किया गया है। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित तथा अपीलांट की जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा भमि है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर कोइ गौर किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

जब वादगत् भूमि रेस्पोडेन्ट को आवंटित व अपीलांट की जरिये ईकरारनामा खरीदशुदा सम्पति है तो ऐसी स्थिति में किसी के कानूनी हक को मात्र सरसरी तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह कानून का प्रतिपादित सिद्वान्त है। अदालत मातहत ने उपरोक्त विधिक प्रावधानों पर कोई गौर किये बिना एक अवैद्य आदेश द्वारा अपीलांट का दावा खारिज कर दिया गया जिससे अपीलार्थी को अपने विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे कि पत्रावली में सीपीसी के सभी प्रावधानों की पालना करते हुए व अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के एक अवैद्य ईकरारनामें के आधार पर खातेदार धोषित करने की इस्तदुआ की गई है। ईकरारनामें के आधार पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा ना तो अदालत मातहत के समक्ष ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई राजस्व दस्तावेजी बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे कि

अपीलांट के कथनों को कोई बल प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 1—2 एसएसएम सूरासर तहसील पूगल के मुरब्बा नम्बर 161/13, 161/14, 161/15, 161/21, 161/22, 1612/23 तादादी 75 बीघा अनकमाण्ड भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 28—09—2007 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से क्रय की गई थी तथा उक्त तथाकथित ईकरारनामें के आधार पर अपीलांट द्वारा खातेदारी धोषणा व चिरनिषेधाज्ञा के बाबत् दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए चाराजोई की गई है।

प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्टेट का जवाबदावा प्राप्त किया गया। उक्त जवाब दावे के अनुसार गैर खातेदारी भूमि का बेचान जरिये ईकरारनामा किया गया है तथा अवैद्य बेचान के समय वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि नहीं थी। ऐसी स्थिति में ईकरारनामें के समय वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि नहीं होने व ईकरारनामें के विरूद्व चाराजोई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त होने के आधार पर राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने के कारण अपीलांट/वादी का वाद खारिज किया गया है। अपीलांट का कथन है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 27—07—2007 को प्राप्त हो चुके थे ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि को बेचान के अधिकार प्राप्त थे। इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में खातदारी सनद् दिनांक 27—07—2007 की प्रति प्रस्तुत की गई, जिसमें सन्तलाल पुत्र

लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी भादरा अंकित किया गया है। उक्त खातेदारी सनद् का संशोधित आदेश दिनांक 30—08—2011 को पारित किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा ईकरारनामा दिनांक 28—09—2007 को निष्पादित करवाया गया है। तत्समय उक्त खातेदारी सनद् अपने आप में अपूर्ण व सन्तलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी भादरा के नाम दर्ज थी। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा बिना दुरूस्ती करवाये जरिये ईकरारनामें के आधार पर खातेदारी धोषणा व चिरनिषेधाज्ञा की इस्तदुआ किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ईकरारनामें के आधार पर किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्रदान किये जाने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के इस कथन को स्वीकार भी कर लिया जावे की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा खातेदारी प्राप्त करने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि का बेचान किया गया है, तब भी अपीलांट राजस्व न्यायालय से ईकरारनामें के आधार खातेदारी धोषणा व चिरनिषेधाज्ञा का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पूर्णतया न्यायसंगत व तर्कसंगत आदेश होने के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09—06—2015 उपखण्ड अधिकारी, पूगल बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 11—07—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर